भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5154
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण

5154. श्रीमती मेनका संजय गांधी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें वही दर्जा देने का विचार है जो राष्ट्रीय संस्थानों को प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार एनएलयू में होने वाली लगातार हड़तालों और विरोधों को ध्यान में रखते हुए वहां पर समुचित शिकायत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु उपाय करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं/विरोध प्रदर्शन हुए है ; और

(ग) क्या सरकार एनएलयू की समस्याओं के मद्देनजर एकसमान अकादमिक मानदंड और केन्द्रीय वित्तपोषण प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधि विश्विद्यालों का राष्ट्रीयकरण करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय विधि विश्विद्यालयों का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता है तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम और मानक उनके द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद के परामर्श से विनिश्चित किए जाते हैं।

****